झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

-: अधिसूचना :-

अधि०सं०-1/आवंटन-02/2011 ......2652......, राँची, दिनांक:-......28/10/2020

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 2000 की धारा-28(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के लिए निम्नांकित विनियमावली बनाते है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-**

(1) यह **विनियमावली "झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड** (आवासीय **भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली, 2020"** कही जाएगी|

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा|

(3) यह विनियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी|

2. **झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 (यथा संशोधित, 2017)** में निम्नवत् संशोधन/अंतःस्थापन/प्रतिस्थापन किया जाता है:-

2. (1) विनियमावली के विनियम 1(ख) में वाक्यांश 'निर्मित' एवं 'भू-सम्पदा' के मध्य वाक्यांश 'एवं प्रस्तावित' अंतःस्थापित किया जाता है|

2. (2) विनियमावली के विनियम 2(v) में वाक्य के पूर्ण विराम के पश्चात् निम्न वाक्य अंतःस्थापित किया जाता है:- 'इस पंजी का संधारण ऑनलाइन एवं डिजिटल प्लेटफार्म पर भी किया जा सकता है|'

2. (3) विनियमावली के विनियम 2(xxi) में वाक्यांश 'निर्मित' एवं 'आवासों' के मध्य वाक्यांश 'अथवा प्रस्तावित' अंतःस्थापित किया जाता है|

2. (4) विनियमावली के विनियम 2(xxx) के पश्चात् विनियम 2(xxxi) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:- ' 'ले आउट प्लान' से अभिप्रेत है, इस विनियमावली में योजना के क्रियान्वयन के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदित किया हुआ बोर्ड द्वारा निर्मित प्लान|'

2. (5) मूल विनियमावली के विनियम 2(xxxii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:- ' 'नीलामी द्वारा सम्पदा का निस्तार' से अभिप्रेत है वैसे भू-खण्ड अथवा निर्मित/प्रस्तावित व्यवसायिक

27/10/2020

भू सम्पदा का खुली डाक द्वारा आवंटन जिसे ले आउट प्लान में व्यवसायिक/आवासीय-सह-व्यवसायिक भू-खण्ड/भू-सम्पदा के रूप में कर्णांकित किया गया हो|'

2652
28/10/2020

2. (6) इस विनियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् मूल विनियमावली के विनियम 2(xxxi) को विनियम 2(xxxii) एवं विनियम 2(xxxii) को विनियम 2(xxxiii) समझा जाएगा|

2. (7) विनियमावली के विनियम 8 के वाक्यांश 'आवास इकाई या फ्लैट या भू-खण्ड ऐसे व्यक्ति को आवंटित किये जायेंगे,' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:- 'आवासीय भू-सम्पदा के निर्मित/प्रस्तावित आवास इकाई या फ्लैट या भू-खण्ड ऐसे व्यक्ति को आवंटित किये जायेंगे,'|

2. (8) विनियमावली के विनियम 10(i)(क) में वाक्यांश 'अर्जित' एवं 'की' के मध्य वाक्यांश '/क्रय' अंतःस्थापित किया जाता है एवं वाक्यांश 'अन्यथा' के स्थान पर वाक्यांश '8(क) से (ग) के अनुसार' प्रतिस्थापित किया जाता है|

2. (9) विनियमावली के विनियम 10(i)(ख) में वाक्यांश 'को' एवं 'आवंटित' के मध्य वाक्यांश ' समानुपातिक आधार पर' अंतःस्थापित किया जाता है|

2. (10) विनियमावली के विनियम 10(i)(ख) के पश्चात् विनियम 10(i)(ग) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:- 'अधिनियम की धारा-29 के तहत् बोर्ड द्वारा किसी पुरानी आवासीय योजना अथवा उसके अन्तर्गत आवासीय भू-सम्पदा के जर्जर हो जाने की परिस्थिति में आवश्यकतानुसार उसे विनष्ट कर उसके स्थान पर नई आवसीय योजना अथवा नई आवासीय भू-सम्पदा का निर्माण कराया जा सकता है| ऐसी नई योजनाओं में पूर्व के आवंटियों को कतिपय शर्तों के साथ सर्वप्रथम आवासीय इकाई या फ्लैट या गृह स्थल (जैसा जिस आवंटि के लिए पूर्व के अनुसार उपयुक्त हो) आवंटित किया जाएगा| इसके अतिरिक्त उन्हें बोर्ड के द्वारा निर्माण अवधि में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किराया की राशि का भुगतान किया जाएगा|'

2. (11) विनियमावली (यथा संशोधित, 2017) के विनियम 10(ii) के पश्चात् टिप्पणी I निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:- 'यह आवंटन योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ले आउट प्लान के आधार पर करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है|'

2. (12) इस विनियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् विनियमावली के विनियम 10(ii) के पश्चात् टिप्पणी I, II एवं III को अब क्रमशः टिप्पणी II, III एवं IV समझा जाएगा|

27/10/2020

2\. (13) विनियमावली के विनियम 17 में वाक्यांश 'हो,' एवं 'उसी' के मध्य वाक्यांश 'अथवा ले आउट प्लान पर चिन्हित हो,' अंतःस्थापित किया जाता है|

2652
28/10/2020

2\. (14) विनियमावली के विनियम 20 में वाक्य के पूर्ण विराम के पश्चात् निम्न वाक्य अंतःस्थापित किया जाता है:- 'इस क्रम में ले आउट प्लान पर भू-सम्पदा को इंगित करते हुए भी आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं|'

2\. (15) विनियमावली के विनियम 29 के पश्चात् विनियम 30 निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:- ' 'इस पूरी आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित करने की कार्रवाई बोर्ड द्वारा की जाएगी|'

2\. (16) विनियमावली के विनियम 30(ख) में वाक्यांश 'धारा-2(xxxi)' के स्थान पर वाक्यांश 'धारा-2(xxxii)' प्रतिस्थापित किया जाता है|

2\. (17) विनियमावली के विनियम 31 में वाक्यांश 'नियम 2(XXXII) के तहत् व्यवसायिक/आवासीय-सह-व्यवसायिक भू-खण्ड का नीलामी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:- ''नियम 2(XXXIII) के तहत् व्यवसायिक/आवासीय-सह-व्यवसायिक भू-खण्ड अथवा निर्मित/ प्रस्तावित भू-सम्पदा का नीलामी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-'|

2\. (18) विनियमावली के विनियम 31(क) में वाक्यांश 'भू-खण्डों का खुले डाक द्वारा नीलामी निम्नांकित कोटा के आधार पर किया जायेगा :-' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:- ''भू-खण्डों अथवा निर्मित/ प्रस्तावित भू-सम्पदा का खुले डाक द्वारा नीलामी निम्नांकित कोटा के आधार पर किया जायेगा :-'|

2\. (19) विनियमावली के विनियम 31(च) के पश्चात् विनियम 31(छ) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:- 'इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए बोर्ड द्वारा एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी|'

2\. (20) मूल विनियमावली के विनियम 30,31,32,33,34,35,36 एवं 37 को अब क्रमशः 31,32,33,34,35,36,37 एवं 38 समझा जाएगा|

3\. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 (यथा संशोधित, 2017) के शेष विनियम यथावत् रहेंगे|

27/10/2020

4. इस विनियमावली को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उस मामले में इस विनियमावली के उपबंधों के संगत कोई निदेश जारी करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची सक्षम होगा|

5. "झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली, 2020" पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है|

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/10/2020

(विनय कुमार चौबे)

सरकार के सचिव|

ज्ञापांक-1/आवंटन-02/2011 2652, राँची, दिनांक:- 28/10/2020

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन को प्रेषित/ नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित|

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय|

22/10/2020

सरकार के सचिव|

ज्ञापांक-1/आवंटन-02/2011 2652, राँची, दिनांक:- 28/10/2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित|

22/10/2020

सरकार के सचिव|

ज्ञापांक-1/आवंटन-02/2011 2652, राँची, दिनांक:- 28/10/2020

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आप्त सचिव, राँची/ विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित|

22/10/2020

सरकार के सचिव|